(नियम 26)

# न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

जीतारम ........ बनाम .......... अपा वगैरा

किस्म मुकदमा 212 RT Act ........ नं. 108/18 ........ सन् 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24-4-18 | वकील प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act विरूद्ध विपक्षीगण पेश किया गया। प्रा० पत्र पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 16-5-18 को पेश हो। | |
| | 16.05.2018<br>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम चमनपुरा में पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता वक्त शिविर उपस्थित। विपक्षीगणो को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, किन्तु नियत शिविर के दौराने अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का चमनपुरा भू0अ0निरीक्षक महुआखुर्द तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 36 के **आराजी सख्यां 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1295, 1332, 1333, 1335 कुल किता 09 कुल रकबा 08–15 बीघा** आराजीयात जो वर्तमान में विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई। | |

बनेड़ा

हुक्म

बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजियात को पुश्तेनी/पैत्रक होने का कथन रखते हुए निवेदन किया कि, सर्वप्रथम विवादित आराजीयात वादीगण के दादा श्री प्यारा जी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। प्यारा जी के निधन के बाद उक्त आराजीयात का खाता उनके पुत्र विपक्षी संख्या 01 रूपा, विपक्षी संख्या 02 काना, विपक्षी संख्या 03 हीरा के नाम पर विरासत से खोला गया। प्रार्थीगण विपक्षी सख्या 01 के पुत्र होकर विवादित मौरूसी सम्पति में अपना हक आधिपत्य रखते है। किन्तु प्रार्थीगण के पिता विपक्षी संख्या 01 ने अपना हक हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति भंवरलाल सुवालका को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के दिनांक 16.05.2017 को बैचान कर दिया, जिसका उनको कोई वैद्यानिक अधिकार नही है।

प्रार्थीगण व विपक्षी क्रम 04 वादग्रस्त आराजीयात समान रूप से हक हिस्से अनुसार में प्रथम श्रैणी की वारिसान है, जिस पर हम अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हो उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। किन्तु प्रार्थीगण की पैत्रक आराजीयात को विपक्षीगणो के द्वारा बैचान कर हस्तान्तरित की जा चुकि है एंव प्रार्थीगण को पुश्तेनी जायदाद से महरूम करने पर आमादा है।

यदि भविष्य में विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है या आराजीयात को विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी, वादपत्र व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई औचित्य ही नही रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी क्रम 01 लगायत 05 को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार राजस्व अभिलेख दस्तावेजात के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होगें। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।

अतः ग्राम चमनपुरा पटवार हल्का चमनपुरा भू0अ0निरीक्षक महुआखुर्द तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 36 के **आराजी सख्यां 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1295, 1332, 1333, 1335 कुल किता 09 कुल रकबा 08–15 बीघा** में **प्रार्थीगण के हक हिस्से तक** राजस्व रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 व 05 को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

खण्ड अधिकारी बनेडा